अध्यक्ष, नीलामी समिति/अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0 6, जनपद न्यायालय, फैजाबाद।

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के राजकीय आवास सेशन्स हाउस परिसर में अनुपयोगी, जंगली व खराब हो चुके कुल 25 नग वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी होनी है। उक्त नीलामी दिनांक 08.01.2025 (दिन बुधवार) को सायं 04:30 बजे 24 न्यायालय कक्षीय भवन के भूतल पर स्थित हॉल में नीलामी हेतु गठित समिति के समक्ष सम्पादित की जायेगी।

उपरोक्त नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

नीलामी हेतु शर्तें:—

1. नीलामी खुली बोली के द्वारा जनसाधारण की उपस्थिति में होगी।
2. नीलामी में बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार नीलामी हेतु नियत तिथि दिनांक 08.01.2025 (दिन बुधवार) से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में मु0 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) की प्रतिभू धनराशि नगद नजारत अनुभाग में जमा करके नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को बोली की आधी धनराशि तत्काल एवं आधी धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। बोली में असफल होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार की प्रतिभू धनराशि वापस कर दी जायेगी।
4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत व अस्वीकृत तथा निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या महोदय को होगा।
5. बोली स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार को कार्य आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नीलामी में लिये गये वृक्षों को अपने व्यय पर पातन कराकर ले जाना होगा तथा कार्यस्थल के साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकृत बोलीकर्ता की होगी।
6. वृक्ष की नीलामी के उपरान्त सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा नियमानुसार पातन अनुज्ञा एवं परिवहन हेतु समस्त देयता शुल्क को संबंधित विभाग/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा कर उसकी रसीद पेड़ों के कटान के पूर्व नजारत में जमा करेगा तथा रू0 1000/– (एक हजार रुपये) प्रति वृक्ष की दर से प्रतिभू के रूप में राष्ट्रीय, बचत पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, अयोध्या के पक्ष में बन्धक किये जाने के उपरान्त ही वृक्ष पातन सम्बन्धी कार्यादेश प्रदान किया जायेगा। पेड़ काटने हेतु उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार समस्त प्रकार के कर का भुगतान व अन्य औपचारिकता स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा करना होगा।
7. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर माननीय जनपद न्यायाधीश अयोध्या महोदय का निर्णय अन्तिम होगा व किसी विवाद की स्थिति में वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, अयोध्या में होगा।

24-12-2024

दिनांक–24.12.2024

(प्रेम प्रकाश)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या–6,
अयोध्या।

पत्र सं 9244/XII – 06/2024 अयोध्या/दिनांक 24/12/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या को सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी (नजारत), अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, अयोध्या।
4. जिला सूचना अधिकारी, फैजाबाद को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु।
5. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र को प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।
6. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
7. नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

दिनांक–24.12.2024

(प्रेम प्रकाश)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या-6,
अयोध्या।

इसका सार्वजनिक नीलामी की सूचना प्रचार-प्रसार हेतु जनपद न्यायालय अयोध्या की आधिकृत वेबसाइट पर अपलोड की जाय। सिस्टम ऑफीसर को अनुपालनार्थ [illegible]